न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुरेन्द्रसिह (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 448 सन 2019
अनवान :–

1. पालाराम पुत्र बुधराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

2. लूणाराम 3 कृष्ण 4. ओमप्रकाश 5 हरलाल 6. देवीलाल 7. रामलाल 8. जयसिह पि0 बुधराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादी

दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 18/2/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 176/288 के खसरा न0 532/5.3240 ,533/3.7940 ,620/7.7780 हैक्ट कुल 16.8960हैक्ट भूमि जिसमें वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 बहिब के 12/13 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का सही नाम पालाराम है वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , संरपच ग्राम पंचायत ननाउ का प्रमाण पत्र सभी में वादी का सही नाम पालाराम दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम पालाराम के स्थान पर सत्यपाल दर्ज किया गया है जो गलत है वादी की वल्दीयत तो सही तौर से दर्ज किन्तु वादी स्वय का नाम गलत तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर पालाराम पुत्र बुधराम के स्थान पर सत्यपाल पुत्र बुधराम संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 फोरमल पक्षकार है इनके विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष नही है इसलिये जबाब की आवश्यकता नही हमने उभयपक्षों की बहस सुनी ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 176/288 के खसरा न0 532/5.3240 ,533/3.7940 ,620/7.7780 हैक्ट कुल 16.8960हैक्ट भूमि जिसमें वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 बहिब के 12/13 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है।

वादी का सही नाम पालाराम है वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , संरपच ग्राम पंचायत ननाउ का प्रमाण पत्र सभी में वादी का सही नाम पालाराम दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम पालाराम के स्थान पर सत्यपाल दर्ज किया गया है जो गलत है वादी की वल्दीयत तो सही तौर से दर्ज किन्तु वादी स्वय का नाम गलत तौर से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 176/288 के खसरा न0 532/5.3240 ,533/3.7940 ,620/7.7780 हैक कुल 16.8960हैक भूमि जिसमें वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 8 बहिब के 12/13 हिस्सा के खातेदार काश्तकार दर्ज है जिसमें वादी का नाम सत्यपाल दर्ज है

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय पालाराम के स्थान पर सत्यपाल दर्ज किया गया है सही नाम पालाराम है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम पालाराम पुत्र बुधराम दर्ज है। सरपंच ग्राम पंचायत ननाउ के प्रमाण पत्र के अनुसार भी वादी का नाम पालाराम पुत्र बुधराम वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात/रिपोर्ट के आधार पर वादी का सही नाम श्योकत अली होना प्रतित होता है

इसप्रकार वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है अर्थात पेरोकार भूमिधारी द्वारा वादी के जबाब के सम्बध में किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही किया गया है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश नही करना /सरंपच ग्राम पंचायत के प्रमाण पत्र के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं सरपंच ग्रम पंचायत ननाउ के प्रमाण पत्र तथा पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 176/288 के खसरा न0 532/5.3240 ,533/3.7940 ,620/7.7780 कुल 16.8960हैक भूमि में वादी का नाम सयुक्त खाते में सत्यपाल पुत्र बुधराम अंकित है के स्थान पर पालाराम उर्फ सत्यपाल पुत्र बुधराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18/2/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर (आर.ए.एस)

अनवान :–

1. पालाराम पुत्र बुधराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादी

2. लूणाराम 3 कृष्ण 4. ओमप्रकाश 5 हरलाल 6. देवीलाल 7. रामलाल 8. जयसिह पि0 बुधराम जाति नायक निवासी ननाउ तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 448 सन 2019 निर्णय दिनांक–18|2|2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ननाउ के खाता संख्या 176/288 के खसरा न0 532/5.3240 ,533/3.7940 ,620/7.7780 कुल 16.8960है0 भूमि में वादी का नाम सयुक्त खाते में सत्यपाल पुत्र बुधराम अंकित है के स्थान पर पालाराम उर्फ सत्यपाल पुत्र बुधराम संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18|2|20 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)